**प्रेस विज्ञप्ति**

**18/3/2026**

**ईडी ने झारखंड ग्रामीण कार्य विभाग धन-शोधन मामले में 5वीं पूरक अभियोजन शिकायत दायर की; 14 इंजीनियरों को नए आरोपितों के तौर पर शामिल किया गया**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रांची ज़ोनल कार्यालय ने **17/03/2026** को पीएमएलए मामलों के लिए माननीय विशेष न्यायालय, रांची के समक्ष, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) की धारा 44 और 45 के तहत **5वीं पूरक अभियोजन शिकायत** दायर की। उक्त शिकायत में ग्रामीण कार्य विभाग (आरडब्ल्यूडी), ग्रामीण विकास विशेष ज़ोन (आरडीएसजेड), व झारखंड राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण (जेएसआरआरडीए), झारखंड सरकार के **14 विभागीय इंजीनियरों और कार्मिकों** को नए आरोपितों (आरोपित संख्या 23-36) के रूप में शामिल किया गया है, जिससे इस मामले की सभी अभियोजन शिकायतों में आरोपियों की कुल संख्या बढ़कर 36 हो गई है।

यह मामला एंटी-करप्शन ब्यूरो (एसीबी), जमशेदपुर द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2018 की धारा 7(ए) के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 13/2019 से शुरू हुआ है।

ईडी की जाँच से यह साबित हुआ कि आरडब्ल्यूडी/आरडीएसजेड /जेएसआरआरडीए के भीतर एक **सुनियोजित कमीशन/रिश्वत रैकेट** चल रहा था, जिसके तहत टेंडर आवंटन के बदले ठेकेदारों से कुल टेंडर मूल्य का **3% फिक्स्ड कमीशन** वसूला जाता था। इस कमीशन का बँटवारा पदानुक्रम के अनुसार होता था: **1.35%** तत्कालीन मंत्री आलमगीर आलम को (उनके निजी सचिव संजीव कुमार लाल के माध्यम से); **0.65-1%** विभागीय सचिव को; और बाकी हिस्सा मुख्य इंजीनियरों तथा उनके अधीनस्थ इंजीनियरों को दिया जाता था। लगभग **3,048 करोड़ रुपये** के कुल टेंडर आवंटन के मुकाबले, **अपराध से अर्जित कुल राशि (पीओसी) 90 करोड़ रुपये** से अधिक है।

जिन 14 लोगों को नए सिरे से आरोपित बनाया गया है, उनमें मुख्य इंजीनियर (सेवानिवृत्त) सिंगराई टूटी, राजीव लोचन, सुरेंद्र कुमार और प्रमोद कुमार; कार्यपालक इंजीनियर संतोष कुमार, अजय कुमार, अजय तिर्की, राज कुमार टोप्पो, अशोक कुमार गुप्ता, सिद्धांत कुमार और अनिल कुमार (सेवानिवृत्त); तथा सहायक इंजीनियर राम पुकार राम और रमेश ओझा (दोनों सेवानिवृत्त), साथ ही पूर्व अधीक्षण इंजीनियर/ इंजीनियर-इन-चीफ उमेश कुमार (सेवानिवृत्त) शामिल हैं। जाँच में यह साबित हुआ कि पीएमएलए की धारा 2(1)(यू) के तहत 'अपराध से प्राप्त आय' (पीओसी) माने जाने वाले अवैध कमीशन की रकम को इकट्ठा करने, जमा करने और पहुँचाने में इनकी सक्रिय भूमिका थी।

इस मामले में अब तक, ईडी ने पीएमएलए की धारा 17 के तहत झारखंड, दिल्ली और बिहार में 52 स्थानों पर तलाशी ली है; 9 लोगों को गिरफ़्तार किया है (पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, उनके निजी सचिव संजीव कुमार लाल और सहयोगी जहांगीर आलम अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं); 3 अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी किए हैं, जिनके तहत लगभग 44 करोड़ रुपये की संपत्ति ज़ब्त की गई है (इन सभी की पुष्टि विद्वान न्याय निर्णयन प्राधिकरण ने की है); और लगभग 38 करोड़ रुपये नकद (जिसमें संजीव कुमार लाल से संबंधित परिसरों से 32.20 करोड़ रुपये और मुन्ना सिंह से 2.93 करोड़ रुपये शामिल हैं) के साथ-साथ 8 लग्ज़री गाड़ियाँ भी ज़ब्त की हैं। इससे पहले, इस मामले में ईडी ने माननीय न्यायालय के समक्ष एक मुख्य अभियोजन शिकायत और 4 पूरक अभियोजन शिकायत दायर की थीं जिसका संज्ञान माननीय न्यायालय ने लिया है।